केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
******

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2018/69 दिनांक: 14.03.2018
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2018/00062
CICOM/R/2018/00165

अपीलकर्ता : श्री दिलीप कुमार साह,
मु0 – ब्रह्मपुरा, बृज बिहारी गली,
सुमित्रा विवाह भवन, थाना – ब्रह्मपुरा,
जिला – मुजफ्फरपुर – 842003.
मो0 – 8051522126.

निर्णय की तारीख : 14.03.2018

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	05.02.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	15.02.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री आर. एल. गुप्ता
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	25.02.2018
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	88/01.03.2018 (113649/28.02.2018)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 05.02.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से आयोग को प्रेषित अपने दिनांक 06.01.2018 के पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री आर. एल. गुप्ता, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, सेन्ट्रल रजिस्ट्री - 2 द्वारा दिनांक 15.02.2018 को पत्र सं. CICOM/R/2018/00165/CR-II के माध्यम से वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना में प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण भी अपेक्षित होता है, जिसके अनुपालन में श्री आर. एल. गुप्ताद्वारा प्रदान की गई सूचना में अधोहस्ताक्षरी विवरण भी दिया गया है, जिसे अपीलकर्ता शायद भूलवश यह समझ बैठे कि सूचना हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आवेदन करना है, जैसा कि प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है ।

2. संबंधित संचिका एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के उक्त आर.टी.आई. आवेदन के संदर्भ में श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है एवं इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने श्री आर. एल. गुप्ता द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन नहीं किया है । अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि श्री ए. के. शर्मा द्वारा प्रदान की गई सूचना का ठीक से अवलोकन कर सूचना प्राप्ति हेतु बताई गई प्रक्रिया का अनुपालन करें ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

O/C

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :

1. श्री ए. के. शर्मा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

15/03/18

C.I.C.
RECEIVED
15 MAR 2018
D. No.
Initials